[2021] 4 एससी आर 221

ओडिशा राज्य और अन्य

बनाम

कमलिनी खिलार और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 1694)

अप्रैल 28,2021

[उदय उमेश ललित और के एम।जोसेफ, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः सेवा से बर्खास्तगी-बकाये वेतन के लिये दावा

- तथ्यत:, सरकारी शिक्षक की नियुक्ति-उत्तरदाता संख्या 2 ने SEBC (महिला) की श्रेणी में उत्तरदाता संख्या 1 की तुलना में उच्च रैंक प्राप्त की-हालाँकि, उत्तरदाता संख्या 1 को नियुक्त किया गया क्योंकि नियुक्ति पत्र उत्तरदाता संख्या 2 को गलत पता होने के कारण नहीं प्राप्त हो सका था।और जाहिर है, उत्तरदाता संख्या 2 योगदान नहीं दिये-उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन-न्यायाधिकरण ने उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति को समाप्त करते हुए उत्तरदाता संख्या 2 के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया तथा अतिरिक्त पद के सृजन का निर्देश भी जारी किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त पद के सृजन के निर्देश को अपास्त कर दिया और तत्पश्चात, किसी भी उपलब्ध रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश दिया-अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः सेवा की गलत समाप्ति के मामले में सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ सेवा बहाली, सामान्य नियम है- तथ्यत: यह स्पष्ट था कि उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति उत्तरदाता संख्या 1 था। उत्तरदाता संख्या 1 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने में केवल कुछ महीने ही रह गये हैं और वह कोई वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है और न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर काम करने में भी सक्षम नहीं हो सका है-इसके अलावा, लगभग दो दशक बीत चुके हैं और उत्तरदाता संख्या 1 को सुने जाने का अवसर देने की विफलता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह नहीं पाया है कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा शुरू से ही अमान्य या अवैध थी-तथ्यत: उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के एक अतिरिक्त पद के सृजन करते हुये बहाल करने के निर्देश को ठीक ही खारिज किया। इसके पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 को किसी भी उपलब्ध रिक्ति में नियुक्ति का निर्देश देने का कोई आधार नहीं था। उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति न्यायाधिकरण के बाध्यकारी आदेश के आलोक में में अपरिहार्य थी-इस प्रकार, उत्तरदाता संख्या 1 का सेवा समाप्ति की तिथी से बकाया वेतन का दावा अमान्य है। उच्च न्यायालय का आदेश जितना प्रश्नगत है, अपास्त किया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1।1 2000 के ओए संख्या 650 में पारित न्यायाधिकरण का आदेश विभाग के लिए बाध्यकारी था। यह न्यायालय इस स्तर पर उक्त ओए में पारित आदेश की सत्यता पर निर्णय नहीं दे सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता

संख्या 2 ने उत्तरदाता संख्या 1 से SEBC (महिलाओं)की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया व नियुक्ति पत्र के योग्य पायी गयी जो उसे नहीं मिल सका क्योंकि वह गलत पता का था। उत्तरदाता संख्या 2, इसलिए योगदान नहीं दे पायी क्योंकि जाहिर है उसे नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। कम से कम ये न्यायाधिकरण के मंत्व्य हैं। वास्तव में, इस मामले ने प्रथम अपीलार्थी (सरकार) का ध्यान आकर्षित किया था और उसने दिनांक 24।02।2000 को उसमें निर्णय लिया। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि यदि पद को भरा गया था तो जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश का पालन करना था, यानी उस उम्मीदवार की सेवा को समाप्त करना जिसे उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त किया गया था। सरकार ने निर्देश दिया था कि उत्तरदाता संख्या 2 को नियुक्ति योग्य बनाने हेतु सबसे कनिष्ठ उम्मीदवार को हटा दिया जाएगा। न्यायाधिकरण का निर्देश अंतिम हो चुका है। [पैरा 13] [232-डी-एफ; 233-बी-सी]

1।2 हालांकि यह सच हो सकता है कि उत्तरदाता संख्या 2 ओ।ए।का पक्षकार नहीं था, लेकिन विधित: उसे उक्त आदेश को चुनौती देने में कुछ रुकावट नहीं थी। उसके लिए यह तर्क देने की छूट नहीं हो सकती कि चूंकि वह एक पक्षकार नहीं थी, इसलिए उक्त आदेश या तो अक्षरश: नहीं लागू हो सकता या लागू नहीं होना चाहिए। यह एक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश है जिसका इस मामले में क्षेत्राधिकार था। इस मंत्व्य को कि उत्तरदाता संख्या 2 योगदान नहीं कर सकी क्योंकि नियुक्ति पत्र गलत नाम से निर्गत हुआ था, चुनौती देने के लिये नहीं खोला जा सकता है। इसलिए न्यायाधिकरण उत्तरदाता संख्या 2 के साथ हुई अवैधता और अन्याय को सही कर रहा था। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि SEBC (महिलाएँ)की श्रेणी में केवल 16 रिक्तियों को भरा जाना था। न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए अपीलकर्ताओं को उस व्यक्ति की सेवा समाप्त करनी थी जो उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त हुआ था। [पैरा 14] [233-सी-एफ]।

1।3 अपनाए गए संकल्प और प्रक्रिया के तहत, अलग विभिन्न श्रेणियों के लिए सूचियाँ तैयार की गईं। विभिन्न समूहों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई थीं। योग्यता सूची भी इसी वर्गीकरण पर आधारित थी। उत्तरदाता संख्या 1 SEBC (महिलाएँ)श्रेणी की योग्यता सूची में क्रम संख्या 22 पर था। यह पता लगाने के लिये क्या उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति पूर्व में ओएमें न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुरूप थी, सबसे सुनिश्चित तरीका यह मालूम करके किया जा सकता है कि क्या उत्तरदाता संख्या 1 ने नियुक्ति प्राप्त की होती यदि नियुक्ति पत्र उत्तरदाता संख्या 2 के नाम पर सही ढंग से जारी किया गया होता और वह उक्त आधार पर योगदान दे दी होती। यदि उत्तरदाता संख्या 1 नियुक्ति नहीं पा पाती यदि उत्तरदाता संख्या 2 इस प्रकार योगदान दे चुकी होती और दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति केवल इसलिये हो सकी क्योंकि उत्तरदाता संख्या 2 योगदान नहीं कर सकी अत: OA No। 650/2000 में पारित आदेश के अर्थ में यह उत्तरदाता संख्या 1 वह व्यक्ति है जो उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त हुआ था। [para 15] [233-F-H: 234-A-B]।

1।4 यह उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ा मामला नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 पर कोई धब्बा नहीं लगा है।नि:संदेह अपीलार्थियों द्वारा सही पते पर उत्तरदाता संख्या 2 को नियुक्ति पत्र नहीं भेजने में की

गई गलती के परिणामस्वरूप पूरी कवायद आवश्यक हो गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2000 का ओएसं। 650 का आदेश अंतिम हो गया था, अपीलार्थीगण को आदेश का अनुपालन करने का दायित्व था। यदि उनके पास उत्तरदाता संख्या 2 के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, तो उत्तरदाता संख्या 1 का यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि अपीलार्थीगण को न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी। [पैरा 15] [234-बी-डी]

1।5 संकल्प को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत संपूर्ण नियुक्ति की गई थी, मामले को अलग-अलग योग्यता सूचियों द्वारा संचालित किया जाना है जो तैयार की गई थीं। इस मामले के विवाद को निर्मित करने वाले तथ्यों की प्रकृति में, इसका केवल यह अर्थ है कि उत्तरदाता संख्या 1 SEBC (महिला) की श्रेणी में सबसे कनिष्ठ थी। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त किए गये उम्मीदवार की सेवा समाप्ति करने का निहितार्थ था। यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति उत्तरदाता संख्या 1 थी।[पैरा 16,17] [234-डी-एफ]

1।6 ऐसी परिस्थितियों में संभवतः यह नहीं माना जा सकता है कि अन्य उम्मीदवार जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हों, लेकिन जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे भिन्न श्रेणियों में आते हैं जिनके लिए अलग सूची तैयार की गई थी, उन्हें न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था। उत्तरदाता संख्या 1 को एसईबीसी(महिला) के तहत एक महिला माना गया था, वह उम्र में छूट की आकांक्षा कर सकती थी। [पैरा 18] [235-बी-सी]

1।7 उत्तरदाता संख्या 1 के पास सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने के लिए केवल कुछ महीने हैं। यह सच हो सकता है कि जैसा कि उसके शपथ पत्र में कहा गया है और लिखित प्रस्तुतियों में भी पेश किया गया है, उसने कोई वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है। वह न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्य भी नहीं कर सकी है। [पैरा 19] [235-डी-ई]

1।8 इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 1 को नियुक्ति की पेशकश की गई थी और नियुक्त किया गया था। हालांकि, एक सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये एक आदेश की वजह से जिसे लागू करना उनका कर्तव्य था, अपीलकर्ताओं को दिक्कत हुयी। यह गलत होगा यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अप्रयोज्य मानते हुए खारिज कर दिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बर्खास्तगी अनुशासनात्मक आधार पर नहीं थी। उत्तरदाता संख्या 1 से कोई धब्बा नहीं जुड़ा है। लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 को एक नोटिस दिया जाना चाहिये था कि न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में उत्तरदाता संख्या 1 को उस व्यक्ति के रूप में क्यों माना जाना चाहिए जिसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना था। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर, जिसमें अकेले 16 रिक्तियां SEBC (महिलाओं) के लिए निर्धारित की गई हैं, और उत्तरदाता संख्या 2 उम्मीदवारों में से 16 वां और अंतिम उम्मीदवार है और उस श्रेणी में हकदार है, परिस्थितिवश योगदान नहीं दे सकी जिसके

परिणामस्वरूप उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति की गई और न्यायाधिकरण का आदेश अपीलार्थियों पर बाध्यकारी है, प्रस्तुत मामले में, उत्तरदाता संख्या 1 को कारण दिखाने का अवसर देने में विफलता कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, घातक नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लगभग दो दशक बीत चुके हैं और केवल इस कारण से कि उत्तरदाता को इस मामले के तथ्यों में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति शुरू से ही अमान्य या अवैध थी। न्यायालय ने वास्तव में न्यायाधिकरण के एक अतिरिक्त पद सृजित करते हुये पुनर्स्थापित करने के निर्देश और अन्य को अपास्त कर दिया। इसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसने केवल निर्देश दिया कि रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति की जाए। इसलिए, समाप्ति की तारीख से पिछले मजदूरी वेतन के लिए उत्तरदाता संख्या 1 और अन्य का दावा किसी भी कीमत पर स्पष्ट रूप से अमान्य है। [पैरा 23] [237-बी-जी]

1।9 गलत तरीके से सेवा समाप्त करने के मामले में सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाली सामान्य नियम है। यह इस बात के अधीन था कि न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ सेवा की अवधि और कदाचार की प्रकृति, यदि कोई साबित हो, नियोक्ता की वित्तीय स्थिति और इसी तरह के अन्य कारकों को ध्यान में रख सकता है। [पैरा 24] [237-जी-एच; 238-ए-बी]

1।10 उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अतिरिक्त पद के निर्माण के निर्देश को अपास्त कर दिया। इसके पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी उपलब्ध रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा समाप्ति 2000 के ओएसं। 650 में न्यायाधिकरण के बाध्यकारी आदेश के आलोक में अपरिहार्य थी। नतीजन, उच्च न्यायालय के आदेश को प्रश्नगत सीमा तक अपास्त किया जाता है और उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर 2002 के ओएसंख्या 917 में पारित आदेश अपास्त रहेगा। [पैरा 24,25] [238-बी-डी]

1।11 यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खर्च रुपये 50,000 एस। एल। पी। दाखिल करने में देरी को माफ करने की शर्त के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त प्रश्नगत निर्णय कायम रहेगा, विलंब को माफ करने का आवेदन खारिज हो जाएगा और दी गई अनुमति रद्द हो जाएगी और यह निर्णय वापस ले लिया जाएगा। यदि खर्च जमा किया जाता है, तो उसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा निकाला जा सकता है। [पैरा 26] [238-डी-ई]

बसुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू यूनिवर्सिटी और अन्य । ए। आई। आर 1998 एस सी। 3261- सुभिन्नित

दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी। एड।) और अन्य। (2013) 10 एस सी सी 324 – पर भरोसा किया।

भारत संघ और अन्य बनाम दलबीर सिंह और अन्य (2009)7 एस सी सी 251; *दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य* ए। आई। आर। 1991 एस सी। 101; *सुरेंद्र कुमार वर्मा और अन्य बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नई दिल्ली और अन्य*। (1980) 4 एस सी सी 443; *हिंदुस्तान टिन वर्क्स*

प्रा।लिमिटेड बनाम।हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी लिमिटेड और अन्य (1979)2 एस।सी।सी।80-संदर्भित।

न्याय निर्णय संदर्भ

(2009) 7 एससीसी 251	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
ए। आई। आर 1991 एस सी 101	संदर्भित किया गया है	पैरा 12,20
(1980) 4 एस सी सी 443	संदर्भित किया गया है	पैरा 12,20
(1979) 2 एससीसी 80	संदर्भित किया गया है	पैरा 12,20
(2013) 10 एससीसी 324	भरोसा किया गया है	पैरा 24
एआईआर 1998 एससी 3261	सुभिन्नित	पैरा 23

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं। 1694 /2021

ओडिशा उच्च न्यायालय (कटक) द्वारा WP (C) No।32419 of 2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05।12। 2019 से उत्पन्न।

गौरव खन्ना और सुश्री निकिता कालिया, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

प्रणय कुमार महापात्रा, श्रीसत्य मोहंती, एस। पी। एम। त्रिपाठी, वी। के। शुक्ला और सतीश कुमार, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, द्वारा दिया गया है।

1. एसएलपी दाखिल करने में 247 दिनों का विलम्ब है। मामले पर विचार करने के बाद, हम विलम्ब को माफ करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन इस शर्त पर कि एक मुश्त राशि रु।50,000 उत्तरदाता संख्या 1 को खर्च के रूप में भुगतान किया जाय। तदनुसार, विलम्ब माफ करने के आवेदन को इस शर्त के साथ कि एक मुश्त राशि रु।50,000 उत्तरदाता संख्या 1 को खर्च के रूप में भुगतान हेतु अपीलार्थी आज से 4 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में जमा करेंगें, स्वीकार किया जाता है। अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् ओडिशा राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए 12।03।1996 दिनांकित एक संकल्प पारित किया। अपीलार्थी सं।3 अर्थात् जिला विद्यालय निरीक्षक, भद्रक-II, भद्रक को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या निर्धारित करनी थी। अपीलार्थी संख्या 3 को उन रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करनी थी जिन्हें प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाना आवश्यक था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि उसी के आधार पर 29।07।1996 को पत्र दिनांकित 29। 07।1996 द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 को सूचित किया गया था कि उसका नाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था। उत्तरदाता संख्या 1 को मौखिक परीक्षा में भाग लेने का निर्देश दिया गया था। एक योग्यता सूची

बनाई गई थी। उत्तरदाता संख्या 1 ने एसईबीसी(महिला) श्रेणी में 22 वां स्थान हासिल किया। केवल 16 रिक्तियां थीं जिन्हें एसईबीसी(महिला) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना था। उत्तरदाता संख्या 1 को नियुक्ति आदेश दिनांकित 04।04।1998 के साथ अनुग्रहित किया गया था। अपीलार्थियों के अनुसार उन्हें इस आधार पर ऐसी नियुक्ति जारी की गई थी कि सफल उम्मीदवारों में से एक, अर्थात् 16 वां स्थान प्राप्त करने वाली उत्तरदाता संख्या 2 समय के भीतर योगदान नहीं कर सकी थी। उत्तरदाता संख्या 1 दिनांकित 20।04।1998 के योगदान पत्र के आधार पर योगदान की।

3. यह शिकायत करते हुए कि उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं मिला था और वह आदेश गलत नाम से जारी किया गया था, उत्तरदाता संख्या 2 ने अभ्यावेदन दायर किया जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन में एक आदेश के आधार पर अपीलार्थी प्रथम द्वारा कुछ निर्देशों के साथ निपटाया गया था, जिसके बाद उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा माननीय उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष OA No।650/2000 दायर किया गया था। न्यायाधिकरण ने ओएको दिनांक 21।09।2001 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया।

परिचालन भाग इस प्रकार हैः

" ऊपर बताए गए कारणों से, हम राज्य उत्तरदाता को सामन्यत: एवं विद्यालयों के DI (OP No।3)को विशेषतया इस निर्देश के साथ मूल आवेदन को स्वीकृत करते हैं कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से एक महीने के भीतर आवेदक के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करें तथा यदि पद स्कूलों के डी।आई।द्वारा भरा जा चुका है तो संलग्नक 6 में उत्तरदाता संख्या 1 के मिनाती प्रधान के स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार की सेवा समाप्ति करने के निर्देश को अमल मे लावें।"

4. इसके परिणामस्वरूप आदेश दिनांकित 16।04।2002 आया जो अपीलार्थी संख्या 3 द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 की नियुक्ति का आदेश था और उसी तारीख का एक अन्य आदेश हुआ जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा को समाप्त कर दिया गया। इससे मुकदमे का वर्तमान दौर शुरू हुआ, 2002 का ओएसं। 917 (सी) है, जिसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था। न्यायाधिकरण ने विवचनों के आदान-प्रदान के पश्चात उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को स्वीकृत किया।

5. हम आदेश के निम्नलिखित भाग का उल्लेख कर सकते हैंः

" जहाँ तक, यह स्पष्ट है कि श्रीमती।स्नेहलता नायक को जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं और शारीरिक रूप से विकलांगों की सूची में शामिल नहीं हैं, "शारीरिक रूप से विकलांग" कोटे के तहत नियुक्ति की गई हैं और कई अन्य लोगों के साथ जिसमें SEBC (पुरुष) और सामान्य (पुरुष) उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने आवेदक से कम अंक प्राप्त किए हैं, बरकरार रखे जाने की स्वीकृति दी गई है, (संदर्भ-पत्र संख्या 3235 दिनांक 22।10।2001, स्कूलों के डी। आई।, भद्रक-II)। इसके अलावा, कम से कम एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और पदच्युत करने से पहले कारण दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए था , भले ही केवल तर्क के लिए इसे स्वीकार किया जाए, कि उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है, जैसा कि बसुदेव तिवारी-बनाम-सिडो कंधू विश्वविद्यालय और अन्य (एआईआर, 1998 एससी 3261) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। चूँकि कोई कारण पृच्छा नोटिस जारी

नहीं किया गया था और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था, भले ही आवेदक को SEBC (महिला) सूची में सबसे कनिष्ठ प्रतीत होती है, उसकी सेवा समाप्ति अवैध है। इसलिए, अनुबंध-6, यानी कार्यालय संख्या 981 डी। टी। डी। दिनांक 14।4।2002 का सेवा समाप्ति आदेश , निरस्त किया जाता है। आवेदक को, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पद का सृजन करते हुये, सभी अनुषांगिक सेवा लाभों के साथ तुरंत सेवा में पुनर्बहाल किया जाए क्योंकि उसकी सेवा की समाप्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या देश के कानून के अनुसार नहीं थी।"

6. यह वही आदेश है जिसने उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने का अवसर दिया। प्रश्नगत फैसले द्वारा उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 को एक अतिरिक्त पद सृजित कर पुनर्बहाल किया जाने के न्यायाधिकरण के निर्देश को निरस्त कर दिया। तदोपरान्त, हालांकि निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

" हालाँकि, चूंकि रिक्ति उपलब्ध है, इसलिए याचिकाकर्ता विरोधी पक्ष संख्या 1 श्रीमती कमलिनी खिलर को भद्रक जिले में उपलब्ध रिक्तियों में से एक रिक्ति के विरुद्ध अब से चार सप्ताह के अन्दर नियुक्ति देंगे,रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकृत किया जाता है ।"

7. फैसले से व्यथित महसूस करते हुये वर्तमान अपील दायर की गई है। हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के भी विद्वान अधिवक्ता को सुना भी।

<u>अपीलार्थियों का प्रस्तुतिकरण</u>

8. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता शिकायत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद बनाने के निर्देश को रद्द करने की सीमित राहत देते हुए, रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 को नियुक्त करने का निर्देश जारी करने में गलती की। यह न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के बाद है जैसा कि उल्लेख किया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति केवल इस आधार पर की गई थी कि उत्तरदाता संख्या 2, जिसने स्वीकृतत: उत्तरदाता संख्या 1 से उच्च पद प्राप्त किया था, योगदान के लिए उपस्थित नहीं हुयी। यह केवल न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में था कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवाओं को समाप्त करना पड़ा। आगे यह तर्क दिया जाता है कि जैसी कि परिस्थितियां हैं, कोई नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि नियुक्ति के तरीके को प्रशिक्षित कनिष्ठ शिक्षकों से अवशोषित किये जाने में बदल दिया गया है।

9. 12 मार्च, 1996 के संकल्प की शर्तों पर भरोसा जताया गया। यह तर्क दिया जाता है कि किया गया चयन उसी पर आधारित था।एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा सामान्य रिक्तियों और प्रत्येक आरक्षित श्रेणियों के लिए अलग से योग्य उम्मीदवार प्रायोजित किये गये थे। यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी श्रेणी का खिलाड़ी या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है। संकल्प के खंड 8 का संदर्भ दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि अधियाचन के वर्ष की पहली जनवरी को अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई थी। हालांकि महिला उम्मीदवारों के लिए अन्य बातों के अलावा5 साल की छूट दी गई थी। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जानी थी। संकल्प के

खंड 16 के तहत उम्मीदवारों की श्रेणी के संबंध में अधिसूचित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की अलग चयन सूची तैयार की जानी थी। खंड 17 ए में प्रावधान किया गया था कि जिला निरीक्षक को स्वीकृत पदों के विरुद्ध सख्ती से उस क्रम में नियुक्ति करनी थी जिसमें नाम संबंधित चयन सूचियों में आए थे। 16 रिक्तियों को SEBC (महिलाएँ)की श्रेणी के लिए अधिसूचित किया गया था। यह दर्शाया गया है कि उत्तरदाता का जन्म 15।07।1961 को हुआ था। वह 01।01।1996 को 34 वर्ष, 5 महीने और 17 दिन की थी। उन्हें इसलिए छूट मिली क्योंकि उन्होंने श्रेणी में SEBC (महिला) के रूप में आवेदन किया था। उन्होंने 22 वीं रैंक हासिल की और उत्तरदाता संख्या 2 क्रम संख्या 16 पर थी।

10. दिनांकित 12।03।1996 के संकल्प या चयन प्रक्रिया को किसी भी बिंदु पर चुनौती नहीं दी गयी है। SEBC (महिला) श्रेणी की सूची में नियुक्ति पाने वाली अंतिम व्यक्ति उत्तरदाता संख्या 1 है।न्यायाधिकरण के OA No।650 of 2000 के निर्देश के अनुपालन में उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति की गयी थी।यह केवल उत्तरदाता संख्या 1 थी जिसे SEBC (महिला) श्रेणी की रिक्तियों में से एक के विरुद्ध नियुक्ति मिली क्योंकि उत्तरदाता संख्या 2 को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका था। यदि उत्तरदाता संख्या 2 को नियुक्ति पत्र मिला होता तो उत्तरदाता संख्या 1 को SEBC (महिला) श्रेणी की वरीयता सूची में उसके स्थान के आधार पर नियुक्ति नहीं मिली होती। उत्तरदाता संख्या 1 ने चयन सूची तैयार करने के तरीके पर कभी आपत्ति नहीं की और इसलिये अब अलग सूची तैयार किये जाने के संबंध में आपत्ति करने की हकदार नहीं हैं। इस न्यायालय के भारत संघ और अन्य बनाम दलबीर सिंह और अन्य, (2009) 7 SCC 251, के फैसले का संदर्भ दिया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 को हमेशा से प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग सूची के बारे में पता था। उन्होंने SEBC (महिला) उम्मीदवार के रूप में आवेदन करके आयु में छूट का लाभ लिया। उनके द्वारा उनको किसी अन्य सूची में शामिल नहीं किए जाने या चयन प्रक्रिया इत्यादि को कभी चुनौती नहीं दी गयी। यह इंगित किया गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 के लिखित प्रस्तुतिकरण में, एक भ्रामक कथन दिया गया है कि रिक्ति 03।06।1996 से पहले हुई थी, यही कारण है कि सरकार ने उत्तरदाता संख्या 1 को बुलाया और रिक्ति भरने को प्रवृत हुयी। यह इंगित किया गया है कि तीसरे अपीलार्थी द्वारा दूसरे अपीलार्थी को लिखा गया पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन में न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने के बारे में था। तीसरा अपीलार्थी उस रिक्ति को संदर्भित करता है जिसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा भरा जा रहा है। प्रश्नगत चयन प्रक्रिया से संबंधीत सभी रिक्तियां 30।06।1996 से पहले की हुई थीं। आगे यह भी तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें से कोई भी उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों और न्यायाधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक नहीं है।

<u>उत्तरदाता संख्या 1 का पक्ष</u>

11. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उनकी सेवाओं की समाप्ति पूरी तरह से अवैध, मनमानी और स्वेच्छाचारी है। अपीलकर्ताओं ने मामले में देरी की। उत्तरदाता संख्या 1 एक स्थायी कर्मचारी थी जिसका चार साल का

निरंतर त्रुटिहीन सेवा इतिहास रहा है। यह मंत्व्य कि दिनांकित 21।09।2001 के आदेश के आलोक उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, निम्नलिखित पहलुओं के मद्देनजर त्रुटिपूर्ण है और बने रहने योग्य नहीं है।

उत्तरदाता संख्या 1 उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा दाखिल OA में पक्षकार नहीं थी। दूसरा, न्यायाधिकरण ने उत्तरदाता संख्या 1 को हटाने का निर्देश नहीं दिया था बल्कि केवल उस व्यक्ति को हटाने का निर्देश दिया था जिसने उत्तरदाता संख्या 2 की जगह ली थी। यह इंगित किया गया है कि पृष्ठ सं 64 एस। एल। पी। पेपर बुक जो कि तृतीय अपीलार्थी द्वारा लिखित 22।01।2001 का पत्र है और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के सबसे कनिष्ठ उम्मीदवारों की सूची का भी उल्लेख करते हुये क्रम संख्या 3 पर उम्मीदवार एक सामान्य श्रेणी का पुरुष है जिसने 109.10 अंक प्राप्त किए थे। क्रम संख्या 5 पर उम्मीदवार SEBC (पुरुष)है जिसने 110.75 अंक प्राप्त किए हैं।

क्रम संख्या 7 पर जगतानंद पाणिग्रही को विशेष रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणी के रूप में चिन्हित किया गया है परन्तु क्रम संख्या 8 स्नेहलता नायक का नाम है जो विशेष रूप से SEBC श्रेणी की क्रम संख्या 31 पर चिन्हित हैं और केवल 110.36 अंक प्राप्त की हैं लेकिन अवैध रूप से शारीरिक विकलांग के रूप में नियुक्ति की गयी है जबकि वह SEBC श्रेणी की है। SEBC श्रेणी की उत्तरदाता संख्या 1 ने 112.75 अंक प्राप्त किए थे जो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक थे।

इसलिए, उत्तरदाता संख्या 1 वह व्यक्ति नहीं था जिसकी सेवाओं को पूर्व की कार्यवाहीयों में न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में समाप्त किया जाना था, यह तर्क दिया गया है।

12. यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 पूर्व की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। उत्तरदाता संख्या 1 को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये था और सरकार को पूर्व की कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती दी जानी चाहिये थीण्भारतीय साक्ष्य अधिनियमए 1872 की धारा 115 के अन्तर्गत रोक है, दूसरे शब्दों में यह विवन्धन है ।दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस (1980) 4 एससीसी 443 और सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम सेन्ट्रल गर्वमेन्ट इण्डस्ट्रियल ट्रीव्यूनल-लेबर कोर्ट, नई दिल्ली एवं अन्य (2013) 10 एससीसी 324, और दिपाली गुण्डू सर्वेश बनाम क्रान्ती जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी एड) और अन्य (1979) 2 एससीसी 80, के निर्णयों पर भरोसा जताया गया है। हिन्दुस्तान टीन वक्र्स प्रा लि बनाम द एमप्लाईज आफ हिन्दुस्तान टीन वर्क्स प्रा लि और अन्य तथा बासुदेव तिवारी बनाम सिद्यो कान्हू यूनिवर्सिटी और अन्य के निर्णयों पर भी भरोसा जताया गया है।

कई व्यक्ति थे जिन्होने उत्तरवादी संख्या 1 से कम अंक प्राप्त किये थे जिन्हे सेवा में बरकरार रखा गया और यह उत्तरदाता संख्या 1 थी जिसे परेशान एवं पीड़ित किया गया। मुकदमेबाजी में विलम्ब मात्र सरकार की तरफ से हुआ है। सरकार द्वारा जबाव दाखिल करने में लगभग सात साल का विलम्ब हुआ है। न्यायाधिकरण द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 को सभी अनुलाभों के साथ पुनः बहाल करने के आदेश के बाद यह केवल तब जगी जब अबमानना की कार्यवाही आरंभ हुई और दो साल व्यतीत होने के बाद आदेश को चुनौती दी गई। उत्तरदाता संख्या 1 का भविष्य अवैध सेवा समाप्ति की

वजह से बर्बाद हुआ। वह अपने बच्चो का उचित रूप से पालन नही कर सकी और मुकदमेबाजी की पूरी अवधि कष्ट एवं आर्थिक तंगी में व्यतीत की। अगर वह सेवा में बनी रहती तो अब तक प्रधानाध्यापिका होती। वह महिला एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली विवाहित महिला एवं वहॉ रोजगार उपलब्ध नही होने के कारण कही अन्यत्र रोजगार नही पा सकी और शपथ पत्र भी यह उल्लेख करते हुए दिया गया है कि वह कहीं अन्यत्र समुचित रोजगार नही पा सकी है।

मंतव्य

13. 2000 के ओएसंख्या 650 में पारित न्यायाधिकरण का आदेश विभाग के लिए बाध्यकारी था। हम इस स्तर पर उक्त ओएमें पारित आदेश की सत्यता पर निर्णय नहीं दे सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 2 ने उत्तरदाता संख्या 1 से SEBC (महिलाओं)की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया व नियुक्ति पत्र के योग्य पायी गयी जो उसे नहीं मिल सका क्योंकि वह गलत पता का था। उत्तरदाता संख्या 2, इसलिए योगदान नहीं दे पायी क्योंकि जाहिर है उसे नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। कम से कम ये न्यायाधिकरण के मंत्व्य हैं।

वास्तव में, इस मामले ने प्रथम अपीलार्थी (सरकार) का ध्यान आकर्षित किया था और उसने दिनांक 24।02। 2000 को उसमें निर्णय लिया। सरकार का निर्णय जैसा कि न्यायाधिकरण के आदेश में उद्धृत है, निम्न प्रकार हैः

" मैं ऊपर उल्लिखित विषय पर माननीय ओएटी।, भुवनेश्वर के आदेश ज्ञापन संख्या 106/ओएटी।, दिनांक 07।01। 2000 का संदर्भ आमंत्रित करना चाहता हूं। डी। आई। ऑफ स्कूल्स, भद्रक-II द्वारा अपने पत्र संख्या 388, दिनांक 31।01।2000 आपको प्रति ज्ञाप संख्या 389, दिनांक 31।01।2000 के साथ, सूचित किया गया था कि हालांकि एक मिनाती प्रधान का चयन किया गया था और उसे नियुक्त किया जाना है, लेकिन नियुक्ति आदेश मिनाखी प्रधान के नाम से भेजा गया था। इसलिए, मिनाती प्रधान की नियुक्ति के लिए न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए कदम उठाने से पहले, कृपया स्कूलों के डी। आई।, भद्रक-II के कार्यालय में तथ्य की जांच करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई अन्य मिनाखी प्रधान नामक व्यक्ति को गलत संबोधित पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया है। यदि हां, तो रिट याचिका में आवेदक उसके स्थान पर शामिल होगा, यदि नहीं तो सबसे कनिष्ठ उम्मीदवार को उसे शामिल होने देने के लिए हटा दिया जाएगा, जब तक कि सरकार आवेदक को बाद में रिक्त हुए पद में योगदान करने की अनुमति देने का फैसला नहीं करती है।"

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कि यदि पद भरा गया था तो स्कूलों के जिला निरीक्षक को निर्देश का पालन करना था जो हमने उद्धृत किया है कि उस व्यक्ति की सेवा समाप्त करनी थी जो उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त हुआ था। दिलचस्पी से हम देख सकते हैं कि सरकार ने उत्तरदाता संख्या 2 को योगदान देने के लिये सबसे कनिष्ठ उम्मीदवार को हटाने का निर्देश दिया था।

14. जबकि यह सच हो सकता है कि उत्तरदाता संख्या 2 ओए का पक्षकार नहीं था, विधित: उसे उक्त आदेश को चुनौती देने में कुछ रुकावट नहीं थी। उसके लिए यह तर्क देने की छूट नहीं हो सकती कि चूंकि वह एक पक्षकार नहीं थी, इसलिए उक्त आदेश या तो अक्षरश: नहीं लागू हो सकता या लागू नहीं होना चाहिए। यह एक न्यायाधिकरण द्वारा पारित

एक आदेश है जिसका इस मामले में क्षेत्राधिकार था। मंत्व्य कि उत्तरदाता संख्या 2 योगदान नहीं कर सकी क्योंकि नियुक्ति पत्र गलत नाम से निर्गत हुआ था, चुनौती देने के लिये खुल नहीं सकता है। इसलिए न्यायाधिकरण उत्तरदाता संख्या 2 के साथ हुई अवैधता और अन्याय को सही कर रहा था। यह विवाद नहीं है कि SEBC (महिलाएँ)की श्रेणी में केवल 16 रिक्तियों को भरा जाना था। न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए अपीलकर्ताओं को उस व्यक्ति की सेवा समाप्त करनी थी जो उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त हुआ था। इसलिए, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए बचा रहा वह यह है कि क्या यह उत्तरदाता संख्या 1 है जिसे उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त किया गया था।

15. यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपनाए गए संकल्प और प्रक्रिया के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग सूचियां तैयार की गई थीं। विभिन्न समूहों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई थीं। योग्यता सूची भी इस वर्गीकरण पर आधारित थी। उत्तरदाता नंबर 1 क्रम संख्या 22 पर था। यह पता लगाने के लिये क्या उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति पूर्व में ओए में न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुरूप थी, सबसे सुनिश्चित तरीका यह मालूम करके किया जा सकता है कि क्या उत्तरदाता संख्या 1 ने नियुक्ति प्राप्त की होती यदि नियुक्ति पत्र उत्तरदाता संख्या 2 के नाम पर सही ढंग से जारी किया गया होता और वह उक्त आधार पर योगदान दे दी होती। यदि उत्तरदाता संख्या 1 नियुक्ति नहीं पा पाती यदि उत्तरदाता संख्या 2 इस प्रकार योगदान दे चुकी होती और दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति केवल इसलिये हो सकी क्योंकि उत्तरदाता संख्या 2 योगदान नहीं कर सकी अत: OA 650/2000 में पारित आदेश के अर्थ में यह उत्तरदाता संख्या 1 वह व्यक्ति है जो उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त हुआ था।

यह उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ा मामला नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 पर कोई धब्बा नहीं लगा है।नि:संदेह अपीलार्थियों द्वारा सही पते पर उत्तरदाता संख्या 2 को नियुक्ति पत्र नहीं भेजने में की गई गलती के परिणामस्वरूप पूरी कवायद आवश्यक हो गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2000 का ओए सं 650 का आदेश अंतिम हो गया था, अपीलार्थीगण को आदेश का अनुपालन करने का दायित्व था। यदि उनके पास उत्तरदाता संख्या 2 के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, तो उत्तरदाता संख्या 1 का यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि अपीलार्थीगण को न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी ।

16. हम अपीलार्थियों के इस तर्क को भी सही पाते हैं कि उस संकल्प के आलोक में जिसके तहत पूरी नियुक्ति की गई थी, मामले को अलग योग्यता सूचियों द्वारा नियंत्रित किया जाना है जो तैयार की गई थीं। इस मामले में विवाद को निर्मित करने वाले तथ्यों की प्रकृति में, इसका केवल यह अर्थ है कि उत्तरदाता संख्या 1 SEBC (महिला) की श्रेणी में सबसे कनिष्ठ थी। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त किए गये उम्मीदवार की सेवा समाप्ति करने का निहितार्थ था

17. यह पता लगाना संभव नहीं हो सकता है कि उत्तरदाता संख्या 2 1 के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वह उम्मीदवार था जिसे उत्तरदाता संख्या 2 के नियुक्त किया गया था। उत्तरदाता संख्या 2 और उत्तरदाता संख्या 1 दोनों को SEBC (महिला) की श्रेणी में नियुक्त करने के लिए विचार किया गया था, जिसके श्रेणी के लिए 16 रिक्तियां निर्धारित की गयी थीं। एसईबीसी(महिला) की योग्यता सूची (पृष्ठ 49) से पता चलता है कि 117.46 अंकों के साथ उत्तरदाता संख्या 2 16 वें स्थान पर थी। नि:सन्देह स्नेहलता नायक एसईबीसी(महिला) सूची के क्रम संख्या 31 पर हैं। लेकिन उन्हें अपीलार्थी सं 3 द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 22.11.2001 में पीएच श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों की सूची में सबसे कनीय दर्शाया गया है। । क्रम संख्या 7 के व्यक्ति जगतानंद पाणिग्रही को पीएच दर्शाया गया है जो स्नेहलता नायक से कम अंक प्राप्त किए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पत्र दिनांक 22.11.2001 में कैसे क्रम संख्या 7 और 8 दोनों व्यक्तियों को पीएच श्रेणी के रूप में सबसे कनिष्ठ उम्मीदवारों के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्नेहलता नायक को एसईबीसी श्रेणी में क्रम संख्या 31 पर दिखाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि स्नेहलता को एसईबीसी से परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में नियुक्त किया गया था? निदेशक अपीलार्थी द्वितीय द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा समाप्त करने वाला कार्यालय आदेश पत्र संख्या 7119 दिनांक 16.03.2002 का संदर्भ देता है। इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि, जो स्पष्ट है वह यह है कि उत्तरदाता संख्या 2 के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति उत्तरदाता संख्या 1 था।

18. ऐसी परिस्थितियों में हम संभवतः यह नहीं मान सकते कि अन्य उम्मीदवार जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हों, लेकिन जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे भिन्न श्रेणियों में आते हैं जिनके लिए अलग सूची तैयार की गई थी, उन्हें न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था। उत्तरदाता संख्या 1 को एसईबीसी(महिला) के तहत एक महिला माना गया था, वह उम्र में छूट की आकांक्षा कर सकती थी।

19 हम प्रसंगवश यह देख सकते हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 के पास सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने के लिए केवल कुछ ही महीने हैं। यह सच हो सकता है कि जैसा कि उसके शपथ पत्र में कहा गया है और लिखित कथन में भी दिखाया किया गया है, उसने कोई वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है। वह न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्य भी नहीं कर सकी है।

20. उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं।

जहाँ तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (उपरोक्त)के निर्णय की बात है, न्यायालय बिना किसी जांच के एक स्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने की विनियम के अन्तर्गत शक्ति की संवैधानिकता पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि बिना कारण दर्शाये केवल नोटिस जारी करके स्थायी और संपुष्ट कर्मचारी की सेवा समप्त कर देना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। निर्णय स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में लागू नहीं हो सकता है जहां अपीलकर्ता न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन को कानूनी दायित्वाधीन रहते हुये निर्देशानुसार कर्मचारी की सेवा समाप्त किया हो। हिन्दुस्तान टिन वर्क्स प्रा लि (उपरोक्त)का निर्णय एवं सुरेंद्र कुमार वर्मा (उपरोक्त) का निर्णय औद्योगिक

कानून और एक कर्मकार की अवैध सेवा समाप्ति के प्रभाव से संबंधित हैं। एक आदेश को जो एक निर्देश के अनुक्रम में पारित किया जाता है जो नियोक्ता पर बाध्यकारी है, अवैध के रूप में वर्णित किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिए, उक्त न्याय निर्णय उत्तरदाता के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

21. बासुदेव तिवारी (उपरोक्त)के मामले में अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दी गयी थी। अपीलार्थी एक व्याखाता के रूप में नियुक्त हुआ था। विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया गया था। सेवा इस आधार पर समाप्त की गयी थी कि नियुक्ति वैध ढंग से नहीं की गयी थी। वहां एक तर्क यह लिया गया था कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ था। यद्दपि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1951 की धारा 35 (3) पर नि:संदेह भरोसा जताया गया था और वह यह प्रावधान करता था कि अधिनियम संविधियों नियमों या विनियमों के विपरीत या किसी अनियमित या अनधिकृत तरीके से की गयी कोई भी नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी, हम उक्त निर्णय के पैरा 12 को देखते हैं: -

" उक्त प्रावधान उपबंध करता है कि किसी नियुक्ति को किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त किया जा सकता है यदि वह अधिनियम, कानूनों, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के विपरीत या किसी अनियमित या अनधिकृत तरीके से की गई थी। इस शक्ति के उपयोग के लिए पूर्व शर्त यह है कि नियुक्ति अधिनियम, नियमों, क़ानूनों और विनियमों के विपरीत या अन्यथा की गई थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई नियुक्ति अधिनियम, कानूनों, नियमों या विनियमों आदि के प्रावधानों के विपरीत है, एक मंतव्य दर्ज किया जाना चाहिए और जब तक कि ऐसा मंतव्य दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक रूप से एक जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसी नियुक्ति अधिनियम आदि के प्रावधानों के विपरीत थी। यदि किसी दिए गए मामले में ऐसी कवायद अनुपस्थित है, तो पूर्ववर्ती शर्त अतृप्त रहती है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक रूप से जांच करनी होगी और ऐसी जांच में उस व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति जांच के अन्तर्गत है, नोटिस देना होगा। यदि उसे नोटिस नहीं दिया जाता है तो यह डेनमार्क के राजकुमार के बिना हैमलेट के मंचन जैसा है, यानी यदि संबंधित कर्मचारी जिसके अधिकार प्रभावित होते हैं, को ऐसी कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, तो ऐसा निष्कर्ष उचित, निष्पक्ष या युक्तियुक्त नहीं होगा जैसा कि इस अदालत ने डीटी सी मजदूर सभा के मामले में देखा है। ऐसी स्थिति में, हमें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि प्रावधान में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से कि एक नियुक्ति अधिनियम, क़ानून, नियम या विनियमन के विपरीत की गई थी, सुनवाई की आवश्यकता विवक्षित है और केवल ऐसा निष्कर्ष निकलने पर ही व्यक्ति की सेवाओं को बिना किसी अन्य नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। इस मामले में धारा 35 (3)ऐसे ही को पढ़ना होगा। "

22. यह पाते हुए कि अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आगे यह देखते हुए कि अपीलार्थी की मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गई थी, यह माना जाना था कि अपीलार्थी की मृत्यु सेवा के दौरान हुयी थी। उन्हें सेवा की समाप्ति की तारीख से उनकी मृत्यु की तारीख तक का बकाया वेतन के भुगतान का लाभ दिया गया था ।

23. हम यह गौर कर सकते हैं कि निर्णय इस मामले के तथ्यों के हिसाब से सुभिन्नित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 1 को नियुक्ति की पेशकश की गई थी और नियुक्त किया गया था। हालांकि, एक सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये एक आदेश की वजह से जिसे लागू करना उनका कर्तव्य था, अपीलकर्ताओं को दिक्कत हुयी। हम गलत होंगें यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अप्रयोज्य मानते हुए खारिज करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बर्खास्तगी अनुशासनात्मक आधार पर नहीं थी। उत्तरदाता संख्या 1 से कोई धब्बा नहीं जुड़ा है। लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 को एक नोटिस दिया जाना चाहिये था कि न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में उत्तरदाता संख्या 1 को उस व्यक्ति के रूप में क्यों माना जाना चाहिए जिसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना था। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर, जिसमें अकेले 16 रिक्तियां SEBC (महिलाओं) के लिए निर्धारित की गई हैं, और उत्तरदाता संख्या 2 उम्मीदवारों में से 16 वां और अंतिम उम्मीदवार है और उस श्रेणी में हकदार है, परिस्थितिवश योगदान नहीं दे सकी जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति की गई और न्यायाधिकरण का आदेश अपीलार्थियों पर बाध्यकारी है, प्रस्तुत मामले में, उत्तरदाता संख्या 1 को कारण दिखाने का अवसर देने में विफलता कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, घातक नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लगभग दो दशक बीत चुके हैं और केवल इस कारण से कि उत्तरदाता को इस मामले के तथ्यों में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा की समाप्ति शुरू से ही अमान्य या अवैध थी। न्यायालय ने वास्तव में न्यायाधिकरण के एक अतिरिक्त पद सृजित करते हुये पुनर्स्थापित करने के निर्देश और अन्य को अपास्त कर दिया। इसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसने केवल निर्देश दिया कि रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति की जाए। इसलिए, समाप्ति की तारीख से बकाये वेतन के लिए उत्तरदाता संख्या 1 और अन्य का दावा किसी भी कीमत पर स्पष्ट रूप से अमान्य है।

24. दीपाली गुंडू सुरवासे (उपरोक्त), मामला महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारियों (सेवा की शर्त) विनियमन अधिनियम, 1977, के तहत उठा। इस न्यायालय ने निस्संदेह यह निर्धारित किया कि सेवा की गलत समाप्ति के मामले में निरंतरता और पिछले वेतन के साथ सेवा बहाली, सामान्य नियम है। यह इस बात के अधीन था कि न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ सेवा की अवधि और कदाचार की प्रकृति, यदि कोई साबित हो, नियोक्ता की वित्तीय स्थिति और इसी तरह के अन्य कारकों को ध्यान में रख सकता है। मामले के तथ्य जो हमने दर्शाये है, के कारण उक्त वजह से उत्तरदाता संख्या 1 को किसी भी तरह के लाभ कि प्राप्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अतिरिक्त पद के निर्माण के निर्देश को अपास्त किया। इसके पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी उपलब्ध रिक्ति में उत्तरदाता संख्या 1 की नियुक्ति का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है।

25. उपरोक्त विमर्श का परिणाम यह है कि उत्तरदाता संख्या 1 की सेवा समाप्ति 2000 के ओए संख्या 650 में न्यायाधिकरण के बाध्यकारी आदेश के आलोक में अपरिहार्य थी। नतीजन, उच्च न्यायालय के आदेश को प्रश्नगत सीमा तक अपास्त किया जाता है और उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर 2002 के ओए संख्या 917 में पारित आदेश अपास्त रहेगा।

26. अपील के खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अगर खर्च रुपये 50,000 एस एल पी दाखिल करने में विलंब को माफ करने की शर्त के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त प्रश्नगत निर्णय कायम रहेगा, विलंब को माफ करने का आवेदन खारिज हो जाएगा और दी गई अनुमति रद्द हो जाएगी और यह निर्णय वापस ले लिया जाएगा। यदि खर्च जमा किया जाता है, तो उसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा निकाला जा सकता है।

अपील स्वीकृत की गई।

निधि जैन

Translated by
MADHUKAR SINGH
ADDITIONAL DISTRCIT & SESSIONS JUDGE-XXVI
PATNA